कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला–कोरिया (छ0ग0)

(07836–232721(कार्यालय) 232722(फैक्स) ई–मेल ID KOREA.CG@NIC-IN

//संशोधित निविदा सूचना का प्रारूप//

निविदा विज्ञप्ति 251 दिनांक 30 / 03 / 2016

भू–अभिलेख शाखा कोरिया की ओर से निर्माताओं एवं उनके अधिकृत विक्रेताओं से कोरिया जिले के तहसील कार्यालय एवं जिला कार्यालय के लिये राजस्व अभिलेखों का रख रखाव के लिये मोबाईल काम्पेक्टर तैयार करने हेतु मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र भू–अभिलेख कार्यालय के लेखा शाखा से आवेदन प्रस्तुत कर रूपये 1000/– का नगद भुगतान कर दिनांक 08/04/2016 से कार्यालयीन समय 10:30 से 05:30 में प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि– 20/04/2016 समय दोपहर 3:00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि– 20/04/2016 समय दोपहर 3:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि– 20/04/2016 समय दोपहर 4:00 बजे
स्थान– कलेक्टर कक्ष कोरिया
संलग्न– निविदा के प्रारूप एवं शर्तें

कलेक्टर
कोरिया (छ0ग0)

पृ0क्र0/252/भू–अभि0/लेखा/2016 कोरिया दिनांक 30/3/2016

प्रतिलिपि–

1. महाप्रबंधक संवाद जनसंपर्क की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त निविदा प्रदेश स्तरीय दो समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. आयुक्त, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर को सादर सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्तानुसार निविदा की प्रारूप एवं शर्तों को राज्य के वेबसाइट cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कोरिया को सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्तानुसार निविदा की प्रारूप एवं शर्तों को जिले की वेबसाइट korea.gov.in में अपलोड करें।
5. उपसंचालक जनसंपर्क विभाग जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि निविदा सूचना प्रारूप एवं शर्तों को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।

कलेक्टर
कोरिया (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला–कोरिया (छ0ग0)

//निविदा के नियम एवं शर्तें//

क्रमांक/253/भू–अभि0/लेखा/2016, बैकुण्ठपुर, दिनांक 30/3/2016

राजस्व अभिलेखों का राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम अंतर्गत कोरिया जिले के पुराने राजस्व अभिलेखों का रखरखाव हेतु सभी तहसील स्तर पर Mobile Compactor स्थापित करने हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन सीलबंद निविदा दिनांक 20/04/2016 को समय 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, निविदा की नियम व शर्तें निम्नानुसार है :–

नियम व शर्तें :–

1. Mobile Compactor स्थापित करने हेतु कार्यालय द्वारा निर्धारित ड्राइंग एवं डिजाईन के अनुरूप की निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ड्राइंग/डिजाईन का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
2. Mobile Compactor में आवश्यकतानुसार दोनों साईड अच्छी क्वालिटी का सनमाईका लगाना अनिवार्य होगा। वर्ग फीट पर दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
3. निविदा जमा करने वाली कंपनी/फर्म का जीवित पंजीयन वाणिज्यकर विभाग छत्तीसगढ़ से होना अनिवार्य है।
4. निविदा जमा करने वाली कंपनी/फर्म को निविदा के साथ आयकर विवरण पत्रक वित्तीय वर्ष 2015–16 का प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. निविदा जमा करने वाली कंपनी/फर्म को पुराने राजस्व अभिलेखों का रखरखाव हेतु Mobile Compactor स्थापित करने का 2 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। पूर्व में की गई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (कार्यादेश की प्रति मान्य नहीं होगी।)
6. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 60000/– (साठ हजार रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) कोरिया के नाम पर देय होगा। (जो वित्तीय लिफाफा "ब" के अंदर रखा जावेगा)
7. Mobile Compactor कार्य के लिये कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था निविदाकार के द्वारा किया जाना होगा, इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जावेगी। इस कार्य हेतु कुशन श्रमिकों की सूची संलग्न करना अनिवार्य होगी।
8. कार्य समय सीमा में पूर्ण करने का दायित्व निविदाकार का होगा। कार्य पूर्ण करने की अधिकतम सीमा 3 माह की होगी। समय सीमा में कार्य नहीं करने पर पेनाल्टी के रूप में प्रतिदिन 100/– की दर से राशि कटौती की जावेगी।
9. निविदाकार को वाणिज्यकर विभाग द्वारा जारी कर चुकता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। चालान की प्रति मान्य नहीं होगी।
10. कार्य गुणवत्ता अनुरूप नहीं होने की स्थिति में कुल भुगतान राशि में से 3 प्रतिशत की दर से कटौती करने का अधिकार कलेक्टर कोरिया को होगा।
11. प्रस्तुत निविदा करों के संबंध में नेगोशिएशन का अधिकार कलेक्टर कोरिया को होगा।
12. जिस निविदाकार फर्म का निविदा स्वीकृत नहीं होगा, उसकी अमानत राशि लौटा दी जावेगी और जिसकी निविदा स्वीकृत होगी उसकी अमानत राशि अनुबंध कार्य पूर्ण होने के पश्चात् देय होगी।
13. स्वीकृत निविदाकार द्वारा यदि किसी कारण से अपनी निविदा वापस ले लिया जाता है या निविदा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में अमानत राशि राजसात कर दी जायेगी और फर्म के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

14. जिस फर्म का निविदा दर स्वीकृत किया जाता है उसे 03 दिवस के भीतर 100/- के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करने के पश्चात ही कार्यादेश जारी करने पर कार्यालय कोरिया (भू-अभिलेख शाखा) के निर्देशानुसार जिले के तहसीलों में निविदा कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।
15. निविदा/कार्यादेश अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर कोरिया में निहित होगा एवं किसी भी प्रकार विवाद की स्थिति में कलेक्टर कोरिया का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी न्यायलयीन वाद उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्र जिला कोरिया में होगा।
16. निविदा की दर स्वीकृत होने पर फर्म को राशि का भुगतान कार्य प्रगति के आधार पर 3 किस्तों मे की जावेगी। प्रथम किस्त में 30 प्रतिशत राशि का भुगतान, द्वितीय किस्त में 30 प्रतिशत राशि का भुगतान एवं अंतिम किस्त में 40 प्रतिशत राशि की भुगतान की जावेगी। राशि के भुगतान करने के पूर्व संबंधित फर्म द्वारा किये गये कार्य को सत्यापन कराना अनिवार्य होगी।
17. संबंधित फर्म को भुगतान किए जाने वाले राशि में से नियमानुसार वेट टैक्स/टी0डी0एस0 की कटौती कर भुगतान किया जावेगा।
18. जो निविदा से निर्धारित अवधि के पश्चात व्यक्तिगत अथवा डाक से प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. **निविदाकार को निविदा दो लिफाफा ''अ'' में तकनीकी अर्हता और ''ब'' में वित्तीय दर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा ''अ'' में तकनीकी अर्हता जैसे वित्तीय वर्ष 2014-15 का आयकर विवरण पत्रक, वाणिजयकर विभाग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, वाणिज्यकर विभाग का कर चुकता प्रमाण पत्र, पिछले 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, कर्मचारियों की सूची, अमानत राशि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। लिफाफा ''अ'' की जानकारी सही नहीं पाये जाने पर लिफाफा ''ब'' नहीं खोला जावेगा। लिफाफा ''अ'' एवं ''ब'' पर स्पष्ट रूप से लिफाफा ''अ'' एवं ''ब'' लिफाफा की पहचान के लिये लिखना अनिवार्य होगा।**

कलेक्टर
कोरिया (छ0ग0)